न्यायालय : अवर न्यायाधीश, अरेराज, पूर्वी चम्पारण।
बंटवारा वाद संख्या 570/2013
सीआइएस 827.18

प्रस्तुत समक्षः **श्री मनीष कुमार पाण्डेय।**

आदेश

दिनांक 29.11.2023 वाद पुकारा गया। मामले में प्रतिवादी सं 11, 12 की तरफ से दिनांक 29.07.2022 को दिये गये आवेदन पर आदेश हेतु निर्धारित है ।

प्रतिवादी की तरफ से आवेदन में कहा गया है कि बयनामा दस्तावेज पक्का नकल जो दिनांक 21.04.03 का है, अंचलाधिकारी हरसिद्धि द्वारा निर्गत दिनांक 20.09.2014 को रजिस्टर 2 की पक्का नकल, अनुमंडल अधिकारी अरेराज, का वाद सं 1472 एम /2012 धारा 144 द0प्र0स0 का दिनांक 27.02.2013 का आदेश का पक्का नकल जिला गजट भूधारी श्रीमती प्रकाशवती देवी के नाम का पक्का नकल दिनांक 19.03.2016 को प्रदर्श के रूप में अंकित करने का कृपा की जाए।

वादी द्वारा आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि प्रतिवादी सं0 11, 12 का आवेदन लोक दस्तावेज नहीं है अतः आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा किया जाए।

उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में प्रतिवादी सं 11, 12 की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेज बयनामा दस्तावेज पक्का नकल जो दिनांक 21.04.03 का है, अंचलाधिकारी हरसिद्धि द्वारा निर्गत दिनांक 20.09.2014 को रजिस्टर 2 की पक्का नकल, अनुमंडल अधिकारी अरेराज, का वाद सं 1472 एम /2012 धारा 144 द0प्र0स0 का दिनांक 27.02.2013 का आदेश का पक्का नकल जिला गजट भूधारी श्रीमती प्रकाशवती देवी के नाम का पक्का नकल दिनांक 19.03.2016 लोक दस्तावेज तथा सुसंगत दस्तावेज हैं अतः प्रस्तुत दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में अंकित करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि दस्तावेजों पर उचित प्रदर्श संख्या अंकित करें। एतद द्वारा प्रस्तुत आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक.................................वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)